महामहिम राष्ट्रपति महोदया
भारत सरकार
राष्ट्रपति भवन
नई दिल्ली

माननीय प्रधान मंत्री
भारत सरकार,
नई दिल्ली।

श्रीमती मीरा कुमार,
माननीय अध्यक्ष लोकसभा,
नई दिल्ली।

श्री नितिन गडकरी साहेब,
माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी,
नई दिल्ली।

द्वारा :— जिला कलेक्टर

विषयः—समता आन्दोलन समिति, जयपुर (राज.) द्वारा अनर्गल जातिवाद की भावना भडकाने तथा अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग के जन प्रतिनिधियों के विरूद्ध मिथ्या प्रचार व असत्य शिकायत करने के सम्बन्ध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि वर्तमान परिपेक्ष्य में आरक्षण एक ज्वलंत मुद्दा राष्ट्रीय संदर्भ में प्रचारित एवं प्रसारित तथाकथित समता आंदोलन समिति, जागो पार्टी एवं मिशन 72 द्वारा धन बल के आधार पर किया जा रहा है जिससे आरक्षित एवं संरक्षित वर्ग के येनकेन प्रकरेण न केवल प्रताड़ित किया जा रहा है,

अपितु भारत भर में अनावश्यक रूप से विवादस्पद बनाकर समुचित सरकारों को आरक्षण समाप्त करने के लिए न्यायालयों की आड़ में निर्णयों की गलत व्याख्या कर दिग्भ्रमित किया जा रहा है क्योंकिः–

इस संदर्भ में दिग्भ्रमित करने वाली संस्थाओं ने कभी यह जानने का प्रयास ही नहीं किया कि आरक्षण व्यवस्था लागू क्यों की गयी ?

(क) इसी परिपेक्ष्य में 25 सितम्बर 1932 को यरवदा जैल में गांधी के साथ बाबा साहब डा. भीमराव अम्बेडकर के मध्य गांधी का जीवन बचाने के लिए जो पुना पैक्ट हुआ उसी की परिणीति है कि दलित समुदाय के लोगों को राजनीतिक आरक्षण एवं सामाजिक समता स्थापित करने के उद्देश्य से सरकारी नौकरियों में आरक्षण/पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

क्या वर्तमान संदर्भ में दलित समुदाय को पुना पैक्ट में रेम्जे मैकडोनाल्ड द्वारा मान्य सांप्रदायिक पंचाट की मांग उठाना जायज नहीं होगा ?

(ख) साम्प्रदायिक पंचाट को मिली वैद्यता जिसे डा. अम्बेडकर ने स्वीकार किया था, के अनुसार लोकसभा एवं विधानसभाओं में दलित जातियों को अपने उत्थान के लिए दोहरा मताधिकार (Double Vote) प्रदान हुआ था, जिससे लोकसभा और विधानसभाओं में दलित उम्मीदवारों को केवल मात्र योग्यतम दलित को ही दलित वोटों से चुनकर भेजने का प्रावधान था। जिसमें सवर्ण जातियों का वोट देने का हस्तक्षेप नहीं था किन्तु सवर्ण जातियों के चयन के लिए दलितों का मताधिकार अनिवार्य था, जिसकी परिणीति यह होती कि दलित समुदाय को सवर्ण जातियो के आगे पल्लू फैलाने की आवश्यकता नहीं थी अपितु वे स्वयं अपना स्वतंत्र एवं निर्भिक प्रतिनिधित्व चुन सकने में सक्षम होते एवं स्वर्ण प्रतिनिधित्व पाने वाले उम्मीदवारो को दलित समुदाय के आगे याचना करनी पड़ती।

इस प्रकार से यह राजनीतिक आरक्षण दलित समुदाय के लिए तत्कालीन विधि सम्मत अधिकार था, न कि खैरात।

आरक्षण एवं पदोन्नती के आरक्षण में, जो वर्तमान सम्पूर्ण भारत के दलितों की समस्या है, के प्रसंग में माननीय उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के विभिन्न निर्णयों को आपकी जानकारी तथा परीज्ञान के लिए वर्णन करना प्रासांगिक होगा।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इन्द्रा साहनी एवं अन्य बनाम भारत संघ के प्रकरण में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए पदोन्नति में आरक्षण का मुद्दा विवाद का विषय ही नहीं था, किन्तु यह तय कर दिया गया कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए सरकारी सेवाओं में पदोन्नती में आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है, और सरकारो को यह निर्देशित कर दिया कि 05 वर्षो में पदोन्नती में आरक्षण को समाप्त कर दिया जावे फलतः संसद को जनहित में 77वां संवैधानिक संशोधन करना पड़ा।

इसी प्रकार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सरकारी पदों में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन जातियों का बैकलॉग पूरा करने में डाली गयी अड़चन आर.के. सबरवाल बनाम पंजाब राज्य, भारत संघ बनाम वीरपाल सिंह चौहान एवं अजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य के प्रकरणो में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों को पदोन्नती देने वाले संवर्ग में प्राप्त वरिष्ठता को समाप्त करने के लिए कैचअप रूल (Catchup Rule) व रीगेनिंग (Re-gaining) के फार्मुला इजाद कर पदोन्नती की दिनांक से इन वर्गो के कर्मचारियों को वरिष्ठता नहीं दिये जाने बाबत् निर्णय किया गया था। जिन्हें भी निष्प्रभावी करने के लिए संसद को संवैधानिक संशोधन संख्या 77, 81, 82 एवं 85 पारित करने पड़े।

एम. नागराजन बनाम भारत संघ के प्रकरण में उच्च वर्ग के याचिकाकर्ताओं द्वारा उपरोक्त संशोधन के क्रम में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि संसद अपने क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का बेवजह हस्तक्षेप कर रही है जबकि संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है।

एम. नागराजन मामले के निर्णय में पदोन्नती में आरक्षण को वैद्य माना गया है जबकि इससे पूर्व में निर्णित इन्द्रा साहनी प्रकरण, जो अनुसूचित जाति एवं जनजाति के मामलों में विसंगती है, के निर्णय को याचिकाओं के माध्यम से पदोन्नती में आरक्षण को समाप्त करने का समुचित सरकारें कुत्सित प्रयास कर रही हैं और अपने संवैधानिक सामाजिक दर्शन से पीछे हट रही है।

बालाजी प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अप्रत्यक्ष रूप से देश की 15 फीसदी सवर्ण जातियों के लिए 50 फीसदी का आरक्षण तय कर दिया है तथा देश की 85 फीसदी आबादी को जो पतित, दलित, प्रताड़ित एवं उपेक्षित है, को 50 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था दी है। यह जनतांत्रिक देश के बहुल वर्गो के साथ समानता नहीं है ?

हालांकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 1½(ग) यह प्रावधान करता है कि भारत के समस्त नागरिकों को संस्था या संघ बनाने की स्वतंत्रता है। इसी क्रम में भारत के नागरिक बिना किसी जातीय, वर्गीय, विभेद के संघ या संस्था का सृजन कर सकते है। इस संदर्भ में राजस्थान में समता आन्दोलन समिति, जागो पार्टी, मिशन 72 आदि संगठनो का गठन किया हुआ है। क्या उक्त संगठन जो जातीयता और वर्गभेद की मानसिकता को धारित करके अपने संगठनो के माध्यम से सामाजिक जातीय वैमनस्य को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष तरीके से कार्य रूप में परीणित करने में परिलक्षित प्रतीत नहीं होते है ? क्या ऐसे संघ एवं संगठनों को समुचित सरकारों द्वारा इसी अनुच्छेद के खण्ड 4 के अनुसार लोक व्यवस्था एवं नैतिकता के हित में युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाने की शक्ति प्रदत्त नहीं करता ? क्या समुचित सरकारों द्वारा ऐसे कृत्यों में लिप्त संगठनों के द्वारा रजिस्ट्रेशन के समय प्रस्तुत किये गये अपने संविधानो के उद्देश्यों खण्डों को इन संगठनों द्वारा किये जाने वाले क्रिया कलापों से तुलना करने की जहमत उठाई ? यदि नहीं तो समुचित सरकारों को जनहित में जागरूक होकर वरियता के आधार पर जांच करवाई जाकर प्रतिबंधित किया जावे एवं ऐसे संगठनों को उपलब्ध होने वाले धन स्त्रोतों का अनुसंधान कर दोषी पाये जाने पर विधिक कार्यवाही कर स्त्रोतों एवं प्राप्त धन को जब्त किया जावें। चूंकि ऐसे छदम उद्देश्यों वाले संघो, संगठनों की गतिविधियां इतनी निर्भिक एवं स्वछन्द हो चुकी है कि आम कर्मचारी एवं नागरिक तो इनकी निगाहों में तिनके के समान परिलक्षित होते हैं।

इन संगठनों के द्वारा आरक्षण को कभी भीख कहा जाता है, कभी इसे भारत माता के सिर पर कंलक कहा जाता है और कभी इसे असमानता व वैमनस्य बढ़ाने वाला कारक बताया जाता हैं। क्या यह हमारा अपमान नहीं है ? क्या भारतीय

संविधान इन संगठनों को ऐसा कृत्य करने की इजाजत देता है और यदि नहीं तो भारत सरकार, राज्य सरकार चुप क्यों हैं ?

जब इनका दुस्साहस इस कदर बढ़ जाता है कि बीकानेर के दलित सांसद के द्वारा संविधान की निष्ठा की शपथ लेने के फलस्वरूप भारतीय संविधान में निहित आरक्षण के उपबन्धों के सम्बन्धों में अपनी मर्यादापूर्वक राय, न्याय पलिका की प्रतिष्ठा को बरकरार रखते हुए अभिव्यक्त करते हैं तो उनकी फर्जी सीडी बनाकर उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को हेय (धुमिल) करने से भी नहीं चूकते चूंकि सांसद दलित है इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है कि कोई ना कोई न्यायाधीश इसका प्रसंज्ञान न ले ले। ऐसा इसलिए हो सकता है कि न्याय पालिका में दलितों का बाध्यकारी प्रतिनिधित्व नहीं हैं।

स्वतन्त्रता के 65 वर्ष के उपरान्त भी देश की सेवाओं तथा आर्थिक संसाधनों के 85 प्रतिशत भाग पर मात्र 15 प्रतिशत लोगों का अधिकार है। 15 प्रतिशत सेवाओं व संसाधनों पर 85 प्रतिशत दलित आदिवासी तथा अन्य पिछड़ा वर्ग निर्वाह कर रहा है। इन संगठनों द्वारा इस प्रकार के आन्दोलनों के माध्यम से देश के शतप्रतिशत सेवायें व आर्थिक संसाधनों का कब्जा करने का षड़यन्त्र है। ये लोग दलित वर्ग को मजदूर, शारीरिक श्रम तथा शुद्र व्यवसाय तक सीमित करना चाहते हैं। समानता के नाम पर देश में विषमता का वातावरण पैदा कर रहें हैं। जो देश की एकता के हित में नहीं है।

अतः हम अनुसूचित जाति–जनजातियों के नागरिक इस ज्ञापन द्वारा यह मांग करते हैं किः–

– ऐसे छद्म उद्देश्यों एवं अघोषित उद्देश्यों की संविधान विरूद्ध साधनों द्वारा पूर्ति करने वाले संगठनों को प्रतिबन्धित कर काली सूची में डाला जावे।
– दलित जातियों के जनप्रतिनिधियों, उच्चाधिकारियों, कर्मचारियों एवं नागरिकों को संरक्षित करते हुए, ऐसे छद्म उद्देश्यों वाले संगठनों क्रमंशः समता आन्दोलन मंच, जागो पार्टी एवं मिशन 72 द्वारा संविधान विरोधी कृत्य करने वाले संघों एवं संगठनों को प्रतिबन्धित किया जावे।

– ऐसे छद्म उद्देश्यों वाले संगठनों के धन स्रोतों की जांच कर प्राप्त फंडिग को जब्त कर आयकर अधिनियम के नियमों के तहत् विधिक कार्यवाही की जावे।

– सामाजिक व्यवस्था में जातिगत वैमनस्य फैलाने के कारण दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 153, 153 (ए), 153 (बी), 292, 505, 120 (बी) एवं अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम 1989 की उन धाराओं के तहत् जो सामुहिक दण्ड एवं जुर्माना आयत करती हैं के तहत् ऐसे संगठनों के पदाधिकारियों के विरूद्ध अभियोजन की कार्यवाही शुरू की जाये एवं ऐसे कुत्सित मानसिकता वाले व्यक्ति जो पूर्व में लोकसेवा के पदों पर आसीन रह चुके हैं तथा वर्तमान में ऐसे छद्म उद्देश्यों वाले संगठनों के द्वारा अपनी समाज विरोधी नीतियां क्रियान्तिवत कर रहे है, के विरूद्ध अपने सेवाकाल में किये गये गलत निर्णयों एवं कृत्यों की जांच कर अभियोजित किया जाये।

– संसद द्वारा पारित संरक्षित विभेदात्मक अधिकारों (आरक्षण) की प्रभावी क्रियान्वती के लिए आगामी आरक्षण विधेयक में दण्डात्मक प्रावधान रखें जावें।

भवदीय

अध्यक्ष **महासचिव**

जिला जिला

प्रतिलिपिः–

1. रजिस्ट्रार जनरल, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली–110001
2. माननीय मुख्य निर्वाचान आयुक्त, भारतीय निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली।
3. माननीय मुख्य न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर–302005

नोट *: यह ज्ञापन दिनांक 23.07.2012 को कलेक्टर के माध्यम से ऊपर लिखे गये नामों पर प्रस्तुत करना है।*